## मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोषाल, (म.प्र.)

Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P)

(Accredited with Grade 'A' by NAAC)

(Established under the Act of 1991 by M.P. Legislative Assembly) परा राजा भोज गार्ग, कॉलार रोड, गोपाल-462016

बुरमाष

फेंसस

वेवसाः

ईमेल.

समस्त प्रत्र व्यवहार कुलसचिव मध्यप्रवेश भोज (मुन्त) विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि फिसी अन्य पक्षधिकारी के नाम से। संबधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमाक एवं दिमाक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



	: 07852492093	
	: 0786-2424640	
3	: https://mpbou.cdu.in/	
	: registraroffice.mpbou@gmail.com	1

क्रमांक. 167.3. वि.सहा / मप्रभोमुविवि / 2025

भोपाल, दिनांक >/2025 4

## 'अधिसूचना'

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क. F.2-71/2022(CPP-II) दिनांक 03.07.2023 के निर्देशानुसार दिनांक 08.01.2026 को आयोजित कय/कार्य निष्पादन समिति की बैठक की बिन्दु क्रमांक 07 तथा प्रबंध बोर्ड की दिनांक 29.01.2025 को आयोजित 104 वीं बैठक के बिन्दु क्रमांक 09 के परिपालन में जनवरी-2025 से विश्वविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शुल्क वापसी निम्नलिखित कटौत्रा के साथ किए जाने की अनशंसा की जाती है।

Category	Percentage of Refund of fees.	Point of time when notice of withdrawal of admission is received in the HEI
1	100%	15 days or more before the formally notified last date of admission. (प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन या उससे पहले)
2	90%	Less than 15 days before the formally notified last date or admission. (प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन से कम पहले)
3	80%	15 days or less after the formally notified last date of admission. (प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि बीत जाने के 15 दिन तक )
4	50%	30 days or less, but more than 15 days after formally notified last date of admission. (प्रवेश की अंतिम तिथि औपचारिक रूप से अधिसूचित होने के 15 दिन के बाद, परन्तु 30 दिन तक)
5	00%	More than 30 days after formally notified last date of admission. (प्रवेश की अंतिम तिथि औपत्रारिक रूप से अधिसूचित होने के 30 दिन से अधिक समय बाद)

विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियम–निर्देश से अपने अधीन संचालित समस्त अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्यों को अबगत कराते हेतु सूचना पटल पर चस्पा कर विद्यार्थियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भोषाल, दिनांक 4/ 3/2025

क्रमांक.<u>/ ( 74</u> / मन्नमांमुविवि / 2025) प्रतिलिपिः--

1. मा० कुलगुरू जी के निज सहायक, म०प्र० भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय;भोषाल की ओर राचनार्थ।

- 2. कुलसचिव, म०प्र० भौज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचमार्थ।
- निदेशक,विद्यार्थी सहायता,म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- निदेशक, प्रवेश एवं मूल्यांकम, म०प्र० भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोषाल की ओर सूचनार्थ।
- निवेशक मुद्रण, म०प्र० भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सामनार्थ।
- 6. निदेशक आई.टी, मध्या भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
- 7. वित्त नियंत्रक, मध्य० भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचमार्थ।
- 8. अंकेक्षण विभाग, मण्प्रo भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 9. क्षेत्रीय निवेशक भौपाल, इंबीर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, होशगाबाद, बड़वानी की ओर सूचनार्थ।
- 10. सॅमस्त प्राचार्य / समन्वयक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Ha विद्यार्थी HEREIGH